

Request-90

From,
Beche Lal,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
Assistant Registrar (B)
High Court of Judicature at
Allahabad.

24

8329

No: /IV-3321/Admin A-1 Sec./Dated:- 5-7-08

Sub: Regarding sanction of medical reimbursement claim amounting to Rs.1,936.00 to Smt. Anuradha Pundeer, Metropolitan Magistrate II, Kanpur-nagar.

Sir,

I am directed to send here-with a copy of order no. 676 (i)/X, dated 05.05.2008 of The District Judge, Kanpur-nagar, regarding sanction of medical reimbursement claim to Smt. Anuradha Pundeer, Metropolitan Magistrate II, Kanpur-nagar, for ^{her} ~~the~~ treatment of ~~her~~ ~~son~~, amounting to Rs.1,936.00 (Rupees One Thousand Nine Hundred Thirty six only) ~~only~~ for information.

Encl : As above

Yours Faithfully
[Signature]
01.7.08
Deputy Registrar

~~D.R. (M)~~
J.R. (M)
Approved
May issue?
[Signature]
30.6.08
[Signature]
01-7-08

Request-90

7890

N/3321

20

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-नगर।

संख्या: / / कानपुर-नगर:

दिनांक: मई, 2008 ई०

आदेश

श्रीमती अनुराधा पुण्डीर, एम०एच० द्वितीय, कानपुर-नगर ने अपनी स्वयं की चिकित्सा उपचार में हुये व्यय स्‍पया 2,804/- का दावा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यू०एच०एम०, जिला चिकित्सालय, कानपुर-नगर के कार्यालय में प्रस्तुत किया था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यू०एच०एम० जिला चिकित्सालय, कानपुर-नगर द्वारा श्रीमती अनुराधा पुण्डीर की प्रतिपूर्ति दावा रू० 1,936/- एक हजार नौ सौ छत्तीस ₹ मात्र की भुगतान हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है। श्रीमती अनुराधा पुण्डीर का दावा स्‍पया 40,000/- से कम होने के कारण उसका निस्तारण कार्यालयाध्यक्ष स्तर से किया जाना है।

अतः मै, सुभाष चन्द्र, जनपद न्यायाधीश, कानपुर-नगर, शासनादेश संख्या-1209/पाँच-6-2004-294/98-टी०सी०, दिनांक 09.08.2004 के पैरा -2 के प्राविधानों के अनुसार श्रीमती अनुराधा पुण्डीर, एम०एच० द्वितीय, जनपद न्यायालय, कानपुर-नगर स्वयं की चिकित्सा उपचार में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के स्‍प में स्‍पया 1,936/- एक हजार नौ सौ छत्तीस ₹ मात्र की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 042 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2014-न्याय प्रशासन आयोजनेत्तर-108-दण्ड न्यायालय-03-जिला एवं सत्र न्यायाधीश-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर-नगर।

संख्या: 6760/19

दिनांक: 05.05.2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कानपुर-नगर।
4. प्रभारी अधिकारी, लेखा अनुभाग, जनपद न्यायालय, कानपुर-नगर।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर-नगर।
जनपद न्यायाधीश
कानपुर-नगर

Amir
CR
31-5-08

444
12-5-08

4
JRCM
w.o. End

1700
S.O. Admn. H/A

J.R.M.
14-5-08

13 MAY 2008